न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी अनिता खटीक (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

वाद संख्या–91/2021
वाद प्रस्तुति दिनांक–11.08.2021
निर्णय दिनांक–23.10.2024

रामलाल पुत्र कल्याण जाति जाट निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

बनाम वादी

प्रकाश पुत्र रामकिशोर जाति जाट निवासी ग्राम संदेडा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
तहसीलदार पीपलू
पंजीयन पीपलू जिला टोंक राज0

वकील वादी-- श्री नन्दकिशोर शर्मा
वकील प्रतिवादी संख्या 01–श्री विवेक चौधरी

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् तकासमा आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 92 ए, 188 रा.टि.एक्ट 1955

निर्णय

पत्रावली वास्ते प्राथमिक निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि आराजी 2067 रकबा 0.3161 हैक्ट. वाके ग्राम झिराना पटवार हल्का झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0) में है जिसमें मुझ वादी का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त वर्णित आराजीयात संयुक्त खातेदारी हिस्से में पूर्व में वादी के भाई रामलाल पुत्र कल्याण जाति जाट के 1/2 हिस्से में दर्ज थी लेकिन वर्षो पूर्व बंटवारे के अनुसार वादी के हिस्से में आयी थी। जिस पर सम्पूर्ण भूमि पर वादी वर्षों से काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। लेकिन वादी के भाई की मृत्यु के पश्चात बरजी देवी पत्नि रामलला के नाम 1/2 हिस्सा रिकॉर्ड में अंकित हो गया जबकि उक्त सम्पूर्ण भूमि पर वादी ही बदस्तुर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त खातेदार बरजी देवी पत्नि रामलाल ने बिना कब्जे के केवल नुमाईशी तोर अपने नाम होने का फायदा उठाकर बिना कब्जा काश्त के उक्त भूमि के 1/2 हिस्से का प्रतिवादी को बेचान कर दिया है जो गलत है। मौके पर वर्षो पूर्व भाई बंटवारे अनुसार वादी ही उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है जबकि देवी पत्नि रामलाल का अन्य भूमि पर कब्जा काश्त है। उक्त वर्णित आराजीयात अविभाजित है। विधिवत् विभाजन नही हो रखा है। इस कारण प्रतिवादी ने अपने हक में गुप चुप तरीके से विक्रय पत्र कर वादी को बेदखल करने पर आमादा है तथा वादी के कब्जे काश्त में बिना तकास्मा करवाये उक्त खेत पर प्रवेश करने पर आमादा है। जिसका प्रतिवादी को कोई विधिक अधिकार नहीं है। उक्त वर्णित

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with ACE Scanner

जीयात का वादी व प्रतिवादी के बीच विधिवत् तकास्मा नहीं होने के कारण वादी व प्रतिवादी के बीच कब्जे कर विवाद होने की संभावना हो गई है। इस कारण वादी के लिए आवश्यक हो गया हैं कि वह अपने क्त वर्णित हिस्से की भूमि का विधिवत् विभाजन कराकर अपनी पृथक जमाबंदी तैयार करवा लेवे एवं अपने में आयी भूमि का नक्शा शीट में तरमीम करा लेवे ताकि किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न ना हो।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर क्ता श्री विवेक चौधरी ने वकालतनामा व जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त वर्णित आराजीयात संयुक्त री में होना स्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 01 विवादित आराजी का सहखातेदार है। जिसे किसी भी कानून के अपने हिस्से का उपयोग उपभोग करने से रोका नहीं जा सकता है। वादपत्र के पेरा संख्या 05 में आराजी भाजन किये जाने में प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं हैं किन्तु शेष वर्णित तथ्य पूर्णतया गलत है। प्रतिवादी हिस्से की आराजी पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। प्रतिवादी द्वारा किसी तरह का कोई तथा बेदखली का प्रयास नहीं किया है। विधिक प्रावधानों के तहत् वादी सहखातेदार प्रतिवादी के विरूद्ध भाजन के स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष जी का विभाजन किये जाने को प्रतिवादी स्वीकार करता है। जिसे वादी प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि मुतनाजा आराजी का विभाजन वादी और प्रतिवादी का अलग–अलग कायम किया जावे।

पत्रावली पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वादी ने अपनी बहस में बताया कि उक्त विवादित यात का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 18 से 21 में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुए रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार विधिवत् रूप से तकास्मा करवाया जाकर वादी के नाम अलग से खाता करवाया जावें। अभिभाषक प्रतिवादीगण ने दावे को डिक्री किये जाने पर सहमति प्रकट करते हुए निवेदन कि वादग्रस्त भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 18 से 21 में वर्णित प्रावधानों की पालना हुए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से को दृष्टिगत रखते हुए विभाजन कर खाता पृथक किया जावे। कार उभयपक्ष ने दावा स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया।

अतः उक्त वर्णित आराजीयात का वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के बीच पत्रांक 1311 दिनांक 08.04.2022 मिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार पीपलू को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 18 से 21 में प्रावधानों की पालना करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से को दृष्टिगत रखते हुए विभाजन प्रस्ताव करने का आदेश दिया गया था। जिसकी पालना में तहसीलदार पीपलू के पत्रांक 3159 दिनांक 22.06.2022 की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिवक्ता वादी द्वारा एक आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया की गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जो वादी के कब्जे के विपरित बनायी गई है। उक्त भूमि पर प्रतिवादी व पूर्व

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with ACE Scanner

... का आज दिन तक कोई कोई कब्जा नही रहा है, लेकिन उक्त भूमि के 1/2 हिस्से को प्रतिवादी ने बिना ... कानून के खरीद लिया है। उसके पश्चात प्रार्थी वादी का कब्जा पूर्वी दिशा की ओर है। लेकिन राजस्व ... द्वारा जो तकासमा रिपोर्ट तैयार की गई है। वह भी प्रार्थी को सूचना दिये बिना तैयार की गई है तथा ... जाकर तैयार नही की गई है, प्रतिवादी के कहे अनुसार रिपोर्ट तैयार की गई है। उक्त कुरेजात रिपोर्ट ... किया जाकर पुनः तहसीलदार पीपलू को आदेश प्रदान करे की मौके पर जाकर कब्जे अनुसार तकासमा तैयार करे। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है की तहसीलदार पीपलू को नवीन तकासमा रिपोर्ट तैयार ... का आदेश प्रदान करे। प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा के पत्रांक 1461 ... 16.04.2024 से पुनः तकास्मा रिपोर्ट चाही गई, जो तहसीलदार पीपलू के पत्रांक 3704 दिनांक 03.09.2024 ... हो चुकी है।

उभयपक्ष अधिवक्ता ने तकास्मा रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी गई। ... वादी ने अपनी बहस में बताया की राजस्व कर्मचारियो द्वारा जो तकासमा रिपोर्ट तैयार की गई है। वह ... को सूचना दिये बिना तैयार की गई है तथा मौके पर जाकर तैयार नही की गई है, प्रतिवादी के कहे ... रिपोर्ट तैयार की गई है। जबकि प्राथमिक निर्णय में उभयपक्ष की उपस्थिती में तकास्मा रिपोर्ट मय नक्शा ... करने का आदेश तहसीलदार पीपलू को दिया गया था। लेकिन तहसीलदार पीपलू द्वारा मौके पर जाकर ... रिपोर्ट नही बनायी गई है। केवल मात्र भू.अ.निरीक्षक व पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट को ही तहसीलदार ... फॉरवर्ड किया गया है। इस कारण तकास्मा रिपोर्ट पुनः उभयपक्ष की उपस्थिती में तहसीलदार पीपलू ... कार्यवाही जाकर मंगवाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है। उक्त तकासमा रिपोर्ट में ... के निर्णय अनुसार कब्जे की स्थिती को भी स्पष्ट नही किया गया। तहसीलदार पीपलू को आदेशित करे ... स्वय उक्त आराजीयात का मौका निरीक्षण कर, उभय पक्षकारान् की उपस्थिती में तकासमा रिपोर्ट तैयार ... लिए प्राथमिक निर्णय में प्रदत आदेश की पालना कर, तकास्मा रिपोर्ट न्यायालय हाजा को भिजवाने की ... करे।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस में बताया की प्रस्तुत तकासमा रिपोर्ट विधिक पालना कर मौके पर ... दृष्टिगत रखते हुए तैयार की गई है। तहसीलदार पीपलू द्वारा राजस्व नियमो की पालना करते हुए ... को विधिवत् नोटिस प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त, विधिवत् तामिल के पश्चात ही तकास्मा रिपोर्ट ... पीपलू द्वारा प्रस्तुत की गई। कब्जे के संबंध में मौका रिपोर्ट भी संलग्न है। तकासमा रिपोर्ट में कोई ... कारित नही की गई है। अतः मुताबिक तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वाद वादी डिक्री जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। प्रस्तुत तकास्मा ... की उपस्थिती में तैयार की गई। जिनके तामिली समन शामिल मिसल है, साथ ही कब्जे की स्थिती ... करते हुए मौका रिपोर्ट संलग्न है। तकास्मा रिपोर्ट कोई विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है। अतः वाद ... तकास्मा आराजीयात स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं की मुताबिक तकास्मा ... वाके ग्राम झिराना, पटवार हल्का झिराना में स्थित आराजी भूमि ख0न0 2087/2 रकबा 0.1581

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with ACE Scanner

वादी पन्नालाल पुत्र कल्याण हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड रहेगा व भूमि खसरा नं0 2087/1 रकबा 0.1580 हैक्ट. प्रतिवादी संख्या 01 ओमप्रकाश पुत्र रामकिशोर हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा0 सन्देडा खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। तहसीलदार पीपलू तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे एवं नक्शा शीट तकास्मा रिपोर्ट अनुसार तरमीम तहसीलदार पीपलू से प्राप्त तकास्मा रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न हिस्सा रहेगी। बैंक प्रभार यथावत रहेगा। डिक्री रहे। निर्णय आज दिनांक 23.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर हो तथा नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(अनिता खटीक)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
पीपलू टोंक (राज0)

Scanned with ACE Scanner